स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फाईल नं. NCST/SER-836/DL/41/2023-SSW

दिनांक: 19.04.2023

1 श्री संजय कुमार भल्ला,
सचिव,
गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली -110001 (दिल्ली)
Email:hshso@nic.in

2. श्री चंद्र भूषण कुमार,
उप-राज्यपाल के प्रमुख सचिव,
6, निवास राज मार्ग, सिविल लाईन,
नई दिल्ली- 110054
(Ph No. 23962988)
(Email: seclg@nic.in)

3. श्री संजय अरोरा
पुलिस आयुक्त,
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड
नई दिल्ली -110001
(Email: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in)

विषय: **दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र दिल्ली संस्करण दिनांक 07.04.2023 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "पुलिस में एससी/एसटी के खाली पद भरे जाऐ : समिति के संबंध में**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने **दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र दिल्ली संस्करण दिनांक 07.04.2023 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "पुलिस में एससी/एसटी के खाली पद भरे जाऐ: समिति** की कतरन (प्रति संलग्न) पर संज्ञान लिया और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **07 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** भी जारी कर सकता है ।

अंकित

(अंकित कुमार सेन/ Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel: 011-24641640.

1/ NIC, NCST (Please upload on the website)